

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक: 6 ए०/वि०१-१०२३/१७-५४३

पटना, दिनांक:- 13/3/18

सेवा में,

महालेखाकार

वीर चंद पटेल पथ, बिहार, पटना।

विषय: वित्तीय वर्ष 2017-18 में बजट का मुख्य शीर्ष 4215- जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय-उपमुख्य शीर्ष-01- जल पूर्ति-लघु शीर्ष-789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- माँग संख्या -36 -उपशीर्ष -0212- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम- विपत्र कोड-36-4215017890212- PFMS कोड-9150-विषय शीर्ष- 0212.53.01- मुख्य निर्माण कार्य मतदेय शीर्ष के अन्तर्गत कुल 2500.00 (पच्चीस करोड़ रुपये मात्र) लाख रुपये की निकासी की स्वीकृति।

आदेश: स्वीकृत।

2. भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति कार्यक्रम हेतु ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना/मिनी पाईप जलापूर्ति योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र सब-मिशन योजना) हेतु 2500.00 (पच्चीस करोड़ रुपये मात्र) लाख रू० बिहार राज्य के Consolidated Fund में विमुक्त किया गया है। भारत सरकार से प्राप्त निदेश के आलोक में उक्त राशि की निकासी कर ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन पर राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिए निर्गत मार्गदर्शिका के अनुसार व्यय किया जाना है।
3. इस राशि की व्यय बजट का मुख्य शीर्ष 4215- जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय उपमुख्य शीर्ष-01- जल पूर्ति लघु शीर्ष-789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- माँग संख्या -36 -उपशीर्ष -0212- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम- विपत्र कोड-36-4215017890212- PFMS कोड-9150-विषय शीर्ष-0212.53.01- मुख्य निर्माण कार्य मतदेय शीर्ष में भारितव्य होगा।
4. योजना की स्वीकृति विभागीय स्वीकृति आदेश संख्या-1463 एवं 1464-दिनांक-15.06.2017, 1638 एवं 1641- दिनांक-06.07.2017 एवं आवंटन आदेश संख्या- 516 (आ०), दिनांक- 09.03.18 के आलोक में राशि की निकासी की जायेगी।




5. इस राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्र संख्या- 5537, दिनांक- 24.06.2015 में निहित प्रावधानों के तहत उप निदेशक (मू0), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना द्वारा की जायेगी, जो सचिवालय, कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना से राशि BTC- 46 में विपत्र तैयार कर BTC Form-4 चलान के साथ विश्वेश्वरैया भवन, कोषागार, पटना स्थित बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के पी0एल0 खाता संख्या- 267, विपत्र कोड- K8448001200041 में अन्तरण द्वारा करायेंगे एवं चालान की एक प्रति सचिव-सह-अध्यक्ष, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, पटना को उपलब्ध करा देंगे।

6. विषयगत राशि की निकासी की स्वीकृति वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 2561/बी0(2), दिनांक- 17.04.1998 एवं ज्ञापांक-एम 4- 09/2014-2793/वि0, दिनांक- 04.04.2016 के आलोक में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रदान की गई है।

7. यह राशि बजट के अधीन है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से



(शशिकांत तिवारी)

अपर सचिव


पटना, दिनांक- 13/3/18

ज्ञापांक:- 543

प्रतिलिपि:- 1. कोषागार पदाधिकारी सचिवालय कोषागार पदाधिकारी विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. वित्त विभाग (बजट शाखा)/जिला पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. प्रधान-सचिव-सह-अध्यक्ष, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता समिति (मिशन)/अभियंता प्रमुख सह विशेष सचिव/ परियोजना निदेशक (विश्व बैंक)/मुख्य अभियंता (नागरिक)/ मुख्य अभियंता (रूपांकण)/ विशेष पदाधिकारी/ अधीक्षण अभियंता (मो0)/प्रावैधिक सचिव, मुख्य अभियंता (नागरिक)/सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन/ निदेशक, SPMU/कार्यपालक अभियंता (मो0)/उप निदेशक, (मूल्यांकन)/निदेशक, पी0एम0यू0/सहायक अभियंता (मो0) (दो प्रतियों में)/प्रशाखा-6 /कम्प्यूटर प्रोग्रामर/आई0टी0, मैनेजर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(शशिकांत तिवारी)

अपर सचिव

